तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन T.D.R हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 083/2014

1. लेखराम
2. केसूराम
3. रणजीतराम

पिसरान सरदाराराम जाति भाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थीगण

– :: बनाम ::–

1. तुलछाराम पुत्र श्री सरदाराम जाति भाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत रास्ता

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 05.09.2019

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 251 (क) आर.टी.ए.प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 लेखराम के नाम चक 14 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 111/97 के पत्थर नंम्बर 138/284 (47) किला नम्बर 1 ता 8, 9/1/.084 कुल तादादी 2.108 हैक्टर व प्रार्थी संख्या 2 केसूराम के नाम इसी चक के खाता संख्या 21/11 पत्थर नम्बर 138/284 (47) किला नंम्बर 9/.169, 10 ता 15, 19/.169, 20 कुल तादादी 2.109 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम के नाम चक 14 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नंम्बर 138/284 (47) किला नम्बर 16 ता 18, 19/1/.084, 21 ता 25 कुल तादादी 2.108 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपरोक्त कृषि भूमि स्व. श्री सरदाराराम के नाम एकल खातेदारी की दर्ज थी तथा उक्त कृषि भूमि में जाने हेतु पत्थर नम्बर 138/285 के किला नंम्बर 1 ता 5 में उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत शुदा है। प्रार्थीगण के पिता सरदाराराम की उपरोक्त कृषि भूमि जो कि प्रार्थना पत्र की चरण 2 व 3 में वर्णित है, का धराघरू विभाजन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य हुआ। वरवक्त विभाजन अप्रार्थी संख्या 1 को मंजूरशुदा रास्ता पर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा प्रार्थीगण को मुख्य रास्ता पर कृषि भूमि प्राप्त नहीं हुई। इस कारण मुताबिक घरू समझौता प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि पत्थर नंम्बर 138/284 के किला नंम्बर 13, 18, 23 में पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर से आवागमन कर रहे हैं तथा मौका पर अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु इसी रास्ता का उपयोग उपभोग अर्सा 30–35 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। पत्थर नंम्बर 138/284 के किला नंम्बर 9 में पूर्वी ओर उत्तरी–पूर्वी कोना पर ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व उसका परिवार रिहायश करते हैं। उक्त ढाणी पूर्व में कच्ची थी। जिसे गत दो वर्ष पूर्व तोड़कर उसी स्थान पर पक्की ढाणी का निर्माण किया गया।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण अपनी भूमि में आवागमन एवं ऊंटगाड़ा, ट्रैक्टर ट्राली, पशु के आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि पत्थर नंम्बर 138/284 के किला नंम्बर 13, 18, 23 में पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर प्रत्येक किला में दो गट्ठा चौड़ा अर्थात् 16–1/2 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास, प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण पत्थर नम्बर 138/284 किला नम्बर 13, 18, 23 में पश्चिम ओर दो गट्ठा चौड़ा अर्थात् 16–1/2 रास्ता दक्षिण से उत्तर स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जायें। इस हेतु मुताबिक कानून व नियम किसी भी प्रकार की कोई शर्त अथवा कोई दायित्व न्यायालय प्रार्थीगण पर आयद करता है तो प्रार्थीगण उस आदेश की पालना के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है। अप्रार्थी संख्या 1 लालचवश होकर व पूर्व में हुए पारिवारिक समझौता को दरकिनार करते हुए उक्त चालू रास्ता बंद करने एवं इसमें फसल काश्त हेतु कटिवद्ध है। उक्त रास्ता बंद हो जाने के कारण प्रार्थीगण व उसका परिवार अपनी–अपनी भूमि में आ–जा नहीं सकेंगे व न ही अपनी भूमि में कृषि कार्य कर सकेंगे। प्रार्थी संख्या 1 का परिवार किला नंम्बर 9 में बनी ढाणी में ही निवास करते हैं तथा प्रार्थी संख्या 1 के पुत्र व पोते–पोतियां पढने के लिए अपनी ढाणी से इसी रास्ता से होकर स्कूल/कॉलेज में जाते हैं लेकिन गत दो दिन से अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत रास्ता को बंद करने व प्रार्थीगण व उसके परिवार व उनके साधनों के आवागमन में बाधा कारित करने को कटिवद्ध है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस गलत मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह चक 14 एच.एम.एच. के पत्थर नंम्बर 138/284 किला नंम्बर 13, 18, 23 में पश्चिमी ओर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे 16–1/2 फुट चौड़ा रास्ता में प्रार्थीगण के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा कारित करने व प्रश्नगत रास्ता पर फसल करने करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थीगण ने गत सप्ताह अप्रार्थीगण से प्रश्नगत रास्ता को स्वीकृत करवाने व राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया तो वे इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त कृषि भूमि का भू–धारक है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर चक 14 एच.एम.एच. के पत्थर नंम्बर 138/284 किला नंम्बर 13, 18, 23 में पश्चिमी ओर दक्षिण से उत्तर की ओर 2 गट्ठा चौड़ा अर्थात् 16–1/2 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मुझ अप्रार्थी के नाम चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नम्बर 138/284 मुरबा नम्बर 47 किला नम्बर 16 ता 18, 19/1/.084 हैक्टर, 21 ता 25 कुल 2.108 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना स्वीकार है।

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पत्थर नम्बर 138/285 किला नम्बर 21 ता 25 मे दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता मन्जुर शुद्धा होना स्वीकार है। परन्तु प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतु पत्थर नम्बर 138/284 के किला नम्बर 13, 18, 23 मे से रास्ता मे से आवागमन का कथन अस्वीकार है। क्योकि उक्त भूमि मे से कभी कोई रास्ता चालु नही रहा है जबकि प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 138/284 किला नम्बर 16 व 25 मे पूर्वी दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर चालु रास्ता से आवागमन करते आ रहे है तथा आज भी मौके पर किला नम्बर 16 व 25 मे से रास्ता चालु है।

पत्थर नम्बर 138/284 के किला नम्बर 13, 18, 23 मे से कभी रास्ता चालु नही रहा है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता चालु है। तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि मे से 2 गटठा रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है अगर किला नम्बर 13, 18, 23 मे से रास्ता स्वीकार किया जाता है, तो मुझ अप्रार्थी के खेत के दो हिस्से हो जावेगे। तथा मुझ अप्रार्थी को काश्त करने में असुविधा होगी। तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु मौके पर चालु रास्ता किला नम्बर 16 व 25 को स्वीकार किया जाकर रास्ते की भूमि के बदले भूमि मुझ अप्रार्थी को प्रदान की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उजर व एतराज नहीं है।

पत्थर नम्बर 138/284 के किला नम्बर 13, 18, 23 मे रास्ता चालु ना होकर रास्ता अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि किला नम्बर 16 व 25 मे रास्ता चालु है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आवागमन करते आ रहे है तथा अब प्रार्थीगण लालचवश व मुझ अप्रार्थी के खेत की भूमि के दो हिस्सो मे विभक्त करने के इरादे से किला नम्बर 13, 18, 23 से फसल नष्ट कर रास्ता करवाना चाहते है। अगर प्रार्थीगण अपनी इस मंशा मे कामयाब हो जाते है तो मुझ अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा कभी नापूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यक्ता है, परन्तु प्रार्थी की मांग के अनुसार यदि रास्ता दिया जाता है, तो अप्रार्थी की भूमि के दो टुकड़े हो रहे है। रास्ता अगर पत्थर नम्बर 138/284 (47) के किला नम्बर 16, 25 में खाले के साथ साथ दिया जाता है, तो अप्रार्थी की भूमि के दो टुकड़े नहीं होगे।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के किला नम्बर 9 में बनी हुई ढ़ाणी में आवागमन की सुविधा हेतु चक 14 एच. एम.एच. के पत्थर नंम्बर 138/284 किला नंम्बर 13, 18, 23 में पश्चिमी ओर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे 16–1/2 फुट चौड़ा को ही स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आसानी से आवागमन कर सके।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी प्रार्थी को रास्ता देनें हेतु तैयार है परन्तु प्रार्थी की भूमि की काश्त की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है यदि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत किया जाता है, तो अप्रार्थी की भूमि के दो टुकड़े हो जावेगे जिस कारण प्रार्थी को कास्त तथा दोनों टुकड़ों में सिचाई सुविधा में भारी परेशानी का सामना करना पडेगा। अतः मुझ प्रार्थी की भूमि मुताबिक तहसील रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर उचित मुआवजा दिलवाया जावे तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

लगातार 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसील रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आवागमन हेतु रास्ते बाबत अप्रार्थी की भूमि के टुकड़ों को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता चक 14 एस.एम.एच. के पत्थर नम्बर 138/284 (47) के किला नम्बर 16, 25 में खाले के साथ साथ 16–1/2 फुट चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा स्वरूप रास्ते की भूमि के बराबर की भूमि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपती हुई भूमि किला नम्बर 19 में देगा।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का तथा रास्ते की भूमि के बदले में दिये जानें वाली भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:03:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: